उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-10/2019/एस-2-2915/दस-2019-88क(6)/2017

लखनऊ :: दिनॉक:: 16 जनवरी, 2019

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती/ ग्रेड पे	पद व स्थान/पद का ग्रेड पे जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है
1	2	3
1	डा0 दिनेश कुमार, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, आगरा मण्डल, आगरा। /8900	वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा। /8900
2	श्रीमती अंजली सोनी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ। /7600	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ। /6600

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अजय कुमार शुक्ला

<u>संख्या-10/2019/एस-2-2915(1)/दस-2019, तददिनॉक।</u> सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/लोक निर्माण /ऊर्जा विभाग, उ0प्र0शासन।
2- अध्यक्ष, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज(इलाहाबाद)।
7- मुख्य, कोषाधिकारी, लखनऊ/आगरा ।
8- संबंधित अधिकारीगण।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(gfj'pUn)

संयुक्त सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in